3

19/10/22 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन, क्षति एवं अपूरणीय प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 04/03/2020 को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:10:04 IST
Reason: SelfAttested